[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 18/2021-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी, 2021

सा.का.नि. ...... (अ)- वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15), जो अब प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट, 1931 (1931 का 16) के अंतर्गत उक्त विधेयक में की गई घोषणा के कारण जो कानून का रूप ले लिया है, के उपवाक्य 115 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 69 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था में, निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध में, क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

| | |
|---|---|
| “10. | अधिसूचना संख्या 56/2000-सीमाशुल्क, दिनांक 5 मई, 2000, सा.का.नि. 399(अ), दिनांक 5 मई, 2000 के तहत । |
| 11. | अधिसूचना संख्या 57/2000-सीमाशुल्क, दिनांक 8 मई, 2000, सा.का.नि. 413(अ), दिनांक 8 मई, 2000 के तहत ।”। |

[फाइल संख्या डीजीईपी/जीएंड जे/05/2017]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट :- प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 को सा.का.नि. 69 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया है ।